मुकदमों का विवरण

पंछायत कुरैशी और एक अन्य बनाम।

राजस्थान राज्य और अन्य (2008 की सिविल अपील संख्या 1538-1539) 13 सितंबर, 2023

[डॉ**.** धनंजय वाई**.** चंद्रचूड़**,** सीजेआई**.** पमिडीगंथम श्री नरसिम्हा और मनोज मिश्रा**,** जे**.** जे**.]**

हेडनोट्स

विचार के लिए विषयःक्या विधि की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद बूचड़खाने को बंद कर दिया गया था।

जल **(**प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण**)** अधिनियम **1974-**स्थायी लोक अदालत ने नगर निगम बोर्ड को नियमों और विनियमों के उल्लंघन के लिए बूचड़खाने को बंद करने का निर्देश दिया**,** जिससे क्षेत्र में प्रदूषण हुआ**-**एस**.** पी**.** सी**.** बी**.** ने यू**/**एस**.33** बूचड़खाने को बंद करने के लिए **1974** के अधिनियम का ए**-**स्थायी लोक अदालत के आदेश को रिट याचिका में चुनौती दी गई**-**उच्च न्यायालय द्वारा खारिज की गई रिट याचिकाः

आयोजित किया गयाः21.11.2003 पर, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी-24.01.2004 पर, राज्य बोर्ड द्वारा एक निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि बूचड़खाने में अपशिष्टों के उपचार और निपटान की व्यवस्था नहीं थी और अपशिष्ट जल को उपचार के बिना छोड़ा जा रहा था-2005 में, राज्य बोर्ड ने व्यापार अपशिष्ट के उपचार के लिए योजना को मंजूरी दी-आयुक्त को एक अपशिष्ट उपचार संयंत्र के निर्माण के लिए की गई कार्रवाई के बारे में सूचित करने के लिए कहा गया था-हालांकि, 03.01.2008 पर, यह पाया गया कि अपशिष्ट उपचार संयंत्र अधूरा था, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार अपशिष्ट का ठीक से उपचार नहीं किया जा रहा था-20.02.2008 पर, सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में संशोधन किया।33 राज्य बोर्ड द्वारा बूचड़खाने के संचालन को बंद करने के लिए आयुक्त को ए-यह मुद्दा कि क्या स्थायी लोक अदालत को 272 का निर्देश देने का अधिकार क्षेत्र था

तब से बूचड़खाने को बंद करना बाद की घटनाओं से आगे निकल गया है-एस. पी. सी. बी. ने अपनी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग किया है।33 निरीक्षण के बाद, कि बूचड़खाने से उत्पन्न कचरे को पर्याप्त उपचार के बिना छोड़ा जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप लागू प्रदूषण मापदंडों का

उल्लंघन हो रहा था-रिट याचिका में, जल उपचार संयंत्र को पानी उपलब्ध कराने और टोंक शहर की सड़कों पर अवैध वध को रोकने के लिए एक निर्देश की मांग की गई थी-रिट याचिका में याचिकाकर्ता इस तथ्य से बेखबर नहीं हो सकते कि निर्धारित प्रदूषण मापदंडों को पूरा करने में विफलता के परिणामस्वरूप बूचड़खाने को बंद कर दिया गया था और चूंकि इसके संचालन से उत्पन्न कचरे को उचित उपचार के बिना छोड़ा जा रहा था-बंद करना लोक अदालत के निर्देश के अनुसरण में नहीं है, बल्कि राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैधानिक विधि क्षेत्र का प्रयोग करते हुए-याचिकाकर्ता बंद होने के बाद से किसी भी राहत के हकदार नहीं हैं।33 जल प्रदूषण अधिनियम 1974 का ए।[पैरा 5,6,7,8,10,11 और 12]

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2008 की सिविल अपील सं. 1538-1539।

एस. बी. सी. डब्ल्यू. पी. Nos.2823 और 2003 के 2776 में जयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के दिनांकित <आई. डी. 2 के निर्णय और आदेश से।

सह

2011 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 358।

रूपः

साहिल गुप्ता, सईद कादरी, लक्ष्मी रमन सिंह, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

सुश्री ऐश्वर्या भाटी, ए. एस. जी., डॉ. मनीष सिंघवी, वरिष्ठ अधिवक्ता, वी. के. वर्मा, डॉ. सुशील बलवाड़ा, कौशल यादव, नंदलाल कुमार मिश्रा, श्रीलोक नाथ रथ, सुश्री रीना राव, डॉ. अजय कुमार, सुश्री शुभांगी अग्रवाल, अपूर्व एस., मिलिंद कुमार, अशोक कुमार सिंह, अंसार अहमद चौधरी, इरशाद अहमद, एस. के. वर्मा, महेश कसाना, सुश्री अपर्णा रोहतगी जैन, गुरमीत 273

पंचायत कुरैशी और एन्नोर बनाम राजस्थान राज्य और अन्य 274

सिंह मक्कर, सुश्री रुचि कोहली, चिन्मायी चंद्र, सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, पी. वी. योगेश्वरन, मुकुल सिंह, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

सर्वोच्च निर्णय के निर्णय का निर्णय/आदेश

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, सीजेआई

1. अपील 1 राजस्थान के उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ की एक खंड पीठ के 15 अक्टूबर 2003 के निर्णय और आदेश से उत्पन्न होती है।इसके अलावा, संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक रिट याचिका 2 है जिसकी सुनवाई दीवानी अपीलों के साथ की गई है।

2. अंतर्निहित तथ्य इस प्रकार हैंः

सर्व सेवा संस्थान द्वारा राजस्थान के टोंक में स्थायी लोक अदालत के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निकट स्थित एक बूचड़खाना नियमों और विनियमों का उल्लंघन करते हुए अपनी गतिविधियों का संचालन कर रहा था, जिससे क्षेत्र में प्रदूषण हो रहा था।2 अप्रैल 2003 को, स्थायी लोक अदालत ने नगर निगम बोर्ड टोंक को एक महीने के भीतर बूचड़खाने को बंद करने का निर्देश दिया।जिला कलेक्टर और राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था।

3. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 3 ने जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1974 4 की धारा 33 ए के अंतर्गत इस आधार पर बूचड़खाने को बंद करने के लिए निर्देश जारी किए कि उसे संचालित करने की सहमति नहीं थी और जैव-चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबंधन और हैंडलिंग) नियम 1988 के अंतर्गत प्राधिकरण का अभाव था।

4. स्थायी लोक अदालत के आदेश को पंचायत कुरैशीयन ने संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका 5 में चुनौती दी थी।उच्च न्यायालय ने 15 अक्टूबर 2003 के एक आदेश द्वारा याचिका को खारिज कर दिया।

1 2008 की सिविल अपील संख्या 1538-1539 2 2011 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 358 3 "एस. पी. सी. बी".

4 “1974 का अधिनियम "

5 2003 की एस. बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2823

/

[2023] 12 एस सी आर।

5. उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने के लिए संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत इस न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई थी।21 नवंबर 2003 को इस न्यायालय ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।24 जनवरी 2004 को, राज्य बोर्ड द्वारा एक निरीक्षण के दौरान, यह पाया गया कि बूचड़खाने में अपशिष्टों के उपचार और निपटान की व्यवस्था नहीं थी और अपशिष्ट जल को उपचार के बिना छोड़ा जा रहा था।व्यापार अपशिष्ट के निरीक्षण के दौरान नमूने एकत्र किए गए थे।अवलोकन किए गए मूल्यों को पर्यावरण (संरक्षण) नियम 1986 की अनुसूची VI के अंतर्गत निर्धारित अनुमेय सीमाओं का उल्लंघन पाया गया।

6. 27 अप्रैल 2004 को, राज्य बोर्ड ने नगर परिषद के आयुक्त को सूचित किया कि बूचड़खाने ने उत्पन्न अपशिष्टों के उपचार और निपटान की व्यवस्था नहीं की है और अपशिष्ट को उपचार के बिना छोड़ा जा रहा है।आयुक्त को व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।13 सितंबर 2004 को, नगर परिषद के आयुक्त ने 1974 के अधिनियम की धारा 25/26 के अंतर्गत काम करने के लिए सहमति के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया।21 सितंबर 2004 को,

आयुक्त को कारण दिखाने के लिए बुलाया गया था कि सहमति प्राप्त करने के लिए आवेदन को अस्वीकार क्यों नहीं किया जाना चाहिए।राज्य बोर्ड ने 2 नवंबर 2004 के एक आदेश द्वारा सहमति के लिए आवेदन को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि आयुक्त कारण बताने के लिए नोटिस का जवाब देने में विफल रहे थे।इसके बाद आयुक्त ने 1974 के अधिनियम की धारा 25/26 के अंतर्गत काम करने के लिए सहमति प्राप्त करने के लिए 9 मार्च 2005 को एक आवेदन प्रस्तुत किया।2 मई 2005 को राज्य बोर्ड ने आयुक्त को कुछ जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।इसके अनुसार, आयुक्त ने 6 जून 2005 को जवाब दिया।25 जून 2005 को, राज्य बोर्ड ने इस शर्त के साथ व्यापार अपशिष्ट के उपचार के लिए योजना को मंजूरी दी कि निर्धारित मानदंडों को प्राप्त किया जाएगा और उपचारित पानी का उपयोग करने के लिए उचित व्यवस्था की जाएगी।

7. 8 जुलाई 2005 को, आयुक्त ने राज्य बोर्ड से व्यापार अपशिष्ट के उपचार के लिए अपशिष्ट उपचार संयंत्र के डिजाइन को मंजूरी देने का अनुरोध किया।11 अगस्त 2005 को राज्य बोर्ड ने आयुक्त को सूचित किया कि उसने आयुक्त द्वारा प्रस्तुत योजना को पहले ही मंजूरी दे दी है। हालाँकि, आयुक्त को एक अपशिष्ट उपचार संयंत्र के निर्माण के लिए की गई कार्रवाई के बारे में सूचित करने के लिए कहा गया था।30 नवंबर 2005 को एक और निरीक्षण किया गया, जिसके बाद राज्य बोर्ड ने अपने 30,275 के पत्र द्वारा

जनवरी 2006 ने बूचड़खाने को इस आधार पर सहमति देने से इनकार कर दिया कि पूरा अपशिष्ट/अपशिष्ट जल बिना उपचार के पास की भूमि पर छोड़ा जा रहा था।13 सितंबर 2007 को, एक निरीक्षण किया गया जिसमें पता चला कि अपशिष्ट उपचार संयंत्र अधूरा था और अनुपचारित अपशिष्ट जल छोड़ा जा रहा था।निरीक्षण के दौरान नमूने एकत्र किए गए थे जो दर्शाते हैं कि व्यापार अपशिष्ट निर्धारित प्रदूषणकारी मानकों से परे था।यह 27 अक्टूबर 2007 को नगर परिषद के आयुक्त के ध्यान में लाया गया था।3 जनवरी 2008 को, यह पाया गया कि अपशिष्ट शोधन संयंत्र अधूरा था, जिसके परिणामस्वरूप व्यापार अपशिष्ट का ठीक से उपचार नहीं किया जा रहा था।

8. 20 फरवरी 2008 को, इस न्यायालय ने एस. पी. सी. बी. को कानून के अनुसार प्रदूषणकारी बूचड़खाने के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति देकर अपने अंतरिम आदेश में संशोधन किया।29 मार्च 2008 को राज्य बोर्ड द्वारा धारा 33 ए के अंतर्गत आयुक्त को बूचड़खाने के संचालन को बंद करने के निर्देश जारी किए गए थे।17 सितंबर 2010 को, पंचायत कुरैशीयन के नेतृत्व में एक अंतर्वर्ती आवेदन की सुनवाई करते हुए, इस न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अंतरिम आदेश नगर परिषद या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के विधि के अनुसार कार्रवाई करने के रास्ते में नहीं आएगा।

9. 16 नवंबर 2011 को, राज्य बोर्ड द्वारा एक निरीक्षण किया गया था, जिसके दौरान नगर परिषद के प्रतिनिधि ने कहा कि 29 मार्च 2008 की धारा 33 ए के अंतर्गत राज्य बोर्ड के आदेश के अनुपालन में 13 मार्च 2008 को बूचड़खाने को बंद कर दिया गया था।

10. तथ्यों के विवरण से संकेत मिलता है कि दीवानी अपीलें राजस्थान उच्च न्यायालय के एक रिट याचिका को खारिज करने के निर्णय से उत्पन्न हुईं, जिसमें स्थायी लोक अदालत के बूचड़खाने को बंद करने के आदेश को चुनौती दी गई थी।चुनौती का प्रमुख आधार यह था कि स्थायी लोक अदालत को बंद करने का आदेश देने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।अपीलों के लंबित रहने के दौरान, राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश पर शुरू में रोक लगा दी गई थी। हालांकि, बाद में वैधानिक प्राधिकरण को विधि के अनुसार कार्रवाई करने की अनुमति देकर स्थगन के आदेश को संशोधित किया गया था।यह मुद्दा कि क्या स्थायी लोक अदालत के पास बूचड़खाने को सीधे बंद करने का अधिकार क्षेत्र था, बाद की घटनाओं से आगे निकल गया है। एस. पी. सी. बी. ने धारा 33 ए के अंतर्गत अपनी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग किया है।

/

[2023] 12 एस सी आर।

निरीक्षण करने पर, कि बूचड़खाने से उत्पन्न कचरे को पर्याप्त उपचार के बिना छोड़ा जा रहा था, जिसके परिणामस्वरूप लागू प्रदूषण मानकों का उल्लंघन हो रहा था।निर्देशों के परिणामस्वरूप, बूचड़खाने को बंद करने का निर्देश दिया गया और निरीक्षण करने पर यह पाया गया कि इसे बंद कर दिया गया था।

11. संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत एक रिट याचिका का नेतृत्व उपरोक्त पृष्ठभूमि में किया गया है जिसमें राजस्थान राज्य और टोंक नगर निगम बोर्ड, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और अन्य अधिकारियों को संविधान की अनुसूची XII और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 की धारा 98 के अंतर्गत अपने वैधानिक कर्तव्यों का निर्वहन करने का निर्देश देने की मांग की गई है।टोंक शहर में जल उपचार संयंत्र को पानी उपलब्ध कराने और सड़कों पर अवैध वध को रोकने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश देने की मांग की गई है।12. संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रिट याचिका उन निर्णयों को निरस्त नहीं कर सकती है जो 1974 के अधिनियम की धारा 33 ए के अंतर्गत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए सांविधिक बोर्ड द्वारा लिए गए हैं।रिट याचिका में याचिकाकर्ता इस तथ्य से अनजान नहीं हो सकते हैं कि बूचड़खाने को निर्धारित प्रदूषण मानकों को पूरा करने में विफलता के परिणामस्वरूप बंद कर दिया गया था और क्योंकि इसके संचालन से उत्पन्न कचरे को उचित उपचार के बिना छोड़ा जा रहा था।बंद करने का निर्देश देते हुए लोक अदालत के अधिकार क्षेत्र पर प्रश्न उठाने वाली अपीलों का आधार बाद के घटनाक्रमों से आगे निकल गया है, जिसके संदर्भ में बूचड़खाने को बंद कर दिया गया है।बंद करना लोक अदालत के निर्देश के अनुसरण में नहीं है, बल्कि राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैधानिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग है।13. ऊपर बताए गए

कारणों से, याचिकाकर्ता किसी भी राहत के हकदार नहीं हैं क्योंकि जल प्रदूषण अधिनियम 1974 की धारा 33 ए के अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रदत्त वैधानिक शक्तियों के संदर्भ में विधि की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद बूचड़खाने को बंद कर दिया गया है।

14. दीवानी अपील और रिट याचिका तदनुसार ऊपर दर्ज किए गए कारणों से खारिज हो जाएगी।

15. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

अपील और रिट याचिका खारिज कर दी गई।

अंकित ज्ञान